-07-

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–02/2024
मदन महतो वगै0 बनाम् कालीचरण बेदिया वगै0

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
09/04/25	मदन महतो, पिता–जयवीर महतो वगै0, ग्राम–चिकोर, थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–175/2019–20/59/2020–21 कालीचरण बेदिया बनाम् मदन महतो वगै0 में दिनांक–28.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।	

भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र० सं०	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)
1	चिकोर	53	15	0.51
			कुल–	0.51

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त मौजा–चिकोर, खाता सं0–53, प्लॉट सं0–15, रकवा–1.1 एकड़ भूमि आवेदक मदन महतो के पिता–जयवीर महतो ने पेमा महतो वो भीम महतो, पिता–रूसो महतो से सादा विक्रय पत्र द्वारा दिनांक–22.10.1952 में हासिल किया। तत्पश्चात् जयवीर महतो उक्त भूमि पर दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय, पतरातु के पंजी–II के पृष्ठ सं0–34/2 में उनके नाम से जमाबंदी कायम कर सरकारी रसीद निर्गत की गई। जयवीर महतो प्रश्नगत् भूमि पर कच्चा मकान एवं कुआं बनाकर सपरिवार रहने लगे एवं उनके मृत्युपरांत अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर पक्का मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के पूर्वज पेमा महतो वगै0 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि के संबंध में जयवीर महतो के विरूद्ध मुंशफ न्यायालय, हजारीबाग में स्वत्व वाद सं0–136/1952 दायर किये। जिसमें पेमा महतो वगै0 अपीलार्थी के पिता के स्वत्व एवं दखल–कब्जा के आधार पर आपस में बिना किसी आपत्ति के सुलह कर लिए। वर्ष–1986 में द्वितीय पक्ष के पूर्वज गुदरी बेदिया, पिता–पेमा बेदिया द्वारा प्रथम पक्ष के पिता जयवीर महतो के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद सं0–85/332 दायर किया गया। जिसे दिनांक–01.11.1988 को खारिज कर दिया गया था। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि–विरूद्ध बताते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए, निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–चिकोर, खाता सं0–53, प्लॉट सं0–15 रूपलु महतो वल्द रामदयाल महतो, बहरावा महतो बल्द बोधा महतो कौम बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है, जो कालीचरण बेदिया के पूर्वज हैं। प्रश्नगत् भूमि प्रथम पक्ष मदन महतो के पिता जयवीर महतो को पेमा महतो वो द्वितीय पक्ष के पिता दसो महतो से सादा विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक–22.10.1952 को हासिल है।

जयवीर महतो उक्त भूमि हासिल करने के बाद उस पर दखलकार हुए तथा अंचल कार्यालय के पंजी–II के पृष्ठ सं0–34/2 में उसके नाम से जमाबंदी कायम हुआ एवं सरकारी रसीद निर्गत की गई। अपीलार्थी के पिता वर्ष 1952 से ही उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल में कुछ भाग पर कच्चा मकान बनाकर सपरिवार रहते थे तथा बनाकर शेष भूमि पर खेती–बारी करते थे। जयवीर महतो के मृत्युपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर दखलकार हैं। द्वितीय पक्ष के पिता दसो महतो एवं पेमा महतो अपीलार्थी के पिता जयवीर महतो के विरूद्ध प्रश्नगत् भूमि के संबंध में स्वत्व वाद सं0–136/1952 मुंसफ न्यायालय, हजारीबाग में दाखिल किये थे, जिसमें दखल–कब्जा के आधार पर जयवीर महतो के पक्ष में फैसला हुआ था। द्वितीय पक्ष के पूर्वज गुदरी बेदिया, पिता–पेमा बेदिया के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग के कोर्ट में वर्ष 1986 को भू–वापसी केस सं0–85/332 दायर किया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। द्वितीय पक्ष कालीचरण बेदिया जयवीर महतो एवं अपने पूर्वज से प्राप्त बदलेन भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यदि प्रथम पक्ष का अपील स्वीकृत होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में यह प्रतिवेदित किया है कि "उभय पक्षों को सुनने तथा अंचल अधिकारी, पतरातु के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार बेदखली की अवधि 9–10 वर्ष रहने के कारण मौजा–चिकोर के खाता सं0–53, प्लॉट सं0–15, रकवा–0.51 ए0 भूमि जो सर्वे खतियान में कौम बेदिया दर्ज है, को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के प्रावधानों के तहत् आवेदित भूमि से विपक्षी को उच्छेदित करने का आदेश दिया जाता है।"

भू–वापसी वादों में सरकार के तरफ से प्रति नियुक्त पैनल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा जबरन भूमि कब्जा किये हुए है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(A) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को वापस किया जा सकता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के द्वारा किये गए बहस, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संलग्न कागजातों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि मौजा–चिकोर के खाता सं0–53, प्लॉट सं0–15, रकवा–0.51 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में रूयलु महतो वगै0 कौम बेदिया के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें सादा केवाला से दिनांक–22.10.1952 से हासिल है एवं उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ट सं0–34/2 पर कायम है। उक्त भूमि पर स्वत्व वाद सं0–136/52 मुंसफ कोर्ट, हजारीबाग में चला, जो आपसी सुलहनामा के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में स्वत्व घोषित किया गया। साथ ही पूर्व में भू–वापसी वाद सं0–85/332/1986 गुदरी बेदिया बनाम् जयवीर महतो दाखिल किया गया, जो दिनांक–01.11.1988 को खारिज किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित में दिया गया कि अपीलार्थी के द्वारा बताया हुआ सभी बात सही है। उन्हें उक्त भूमि के बदले भूमि मेरे दादा का प्राप्त है। उस पर वे मकान बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने अपील आवेदन स्वीकृत करने में आपत्ति

नहीं किये हैं एवं उन्होंने भविष्य में भी आपत्ति नहीं करने की बात की है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा शपथ–पत्र दायर किया गया है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को उक्त भूमि सादा केवाला से प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। विपक्षी का कहना है कि उक्त भूमि के बदले उन्हें बदलेन भूमि मिल चुकी है। अगर अपीलार्थी के पक्ष में अपील स्वीकृत होता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। परन्तु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के तहत् भूमि बदलेन का प्रावधान है अथवा नहीं, इस बिन्दु पर पुनः समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित उपरोक्त बिन्दु पर समीक्षोपरांत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–28.07.2023 को पारित आदेश को रद्द करते हुए, अभिलेख रिमांड किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.07.09 10:55:01 +05:30
Location: 192.168.0.6